संख्याः– 139 /XX(8)/24–27(रा0आ0)/2018

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

गृह अनुभाग–8 देहरादूनः दिनांक २५ नवम्बर, 2024

विषयः– उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राज्याधीन सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपर सचिव, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अधिसूचना संख्या–244/XXXVI(3)/2024/48(1)/2023, दिनांक 18.08.2024 (छायाप्रति संलग्न) के क्रम में निम्नलिखित शर्तों के अधीन उत्तराखण्ड राज्य के चिन्हित आन्दोलनकारी या उनके आश्रितों को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्रदान किया जायेगा :–

1. जो राज्य आन्दोलनकारी पूर्व से ही राज्य आन्दोलनकारी कोटे से सरकारी सेवा में सेवायोजित हैं, उनके आश्रितों को राज्य आन्दोलनकारी आश्रित प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा।

2. जो राज्य आन्दोलनकारी पूर्व से ही राज्य आन्दोलनकारी कोटे से सरकारी सेवा में सेवायोजित होने का लाभ ले चुके है, वे पुनः अन्य सरकारी सेवा में क्षैतिज आरक्षण का लाभ लेने हेतु पात्र नहीं होगें।

3. प्रत्येक राज्य आन्दोलनकारियों से इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा अभी तक सरकारी सेवा मे राज्य आन्दोलनकारी कोटे से क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्राप्त किया गया है अथवा नहीं।

2– उपरोक्त शर्तों के अधीन जिलाधिकारी स्तर से प्रारूप निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में प्रारूप–I तथा प्रारूप–II का नमूना संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
सचिव।

संख्याः– — (1)/XX(8)/24–27(रा0आ0)/2018, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
3. सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त कुमॉऊ/गढ़वाल मण्डल।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रिधिम अग्रवाल)
विशेष सचिव।

Letter–2024——doc

CamScanner

शासनादेश संख्या–139/XX(8)/24-27(रा0आ0)/2018, दिनांक 24.11.2024 में संदर्भित संलग्न प्रारूप–1 :–

प्रारूप–1

"उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम, 2023" के प्राविधानानुसार चिन्हित उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को राज्याधीन सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्रदान किये जाने हेतु प्रमाण पत्र का प्रारूप।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर श्री/सुश्री/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री.....निवासी.....तहसील.....जिला.....शासनादेश संख्या–777/XX(4)/26/उ0आ0/2006–08, दिनांक 22.10.2008, शासनादेश संख्या–178–2/XX(4)/26/उ0आ0/06/09, दिनांक 28.02.2009, शासनादेश संख्या–1401/बीस–4/2015–3(26)/2006, दिनांक 25.02.2015, शासनादेश संख्या–1521/बीस–4/2017–9(उ0रा0आ0)2016, दिनांक 03.01.2017 एवं शासनादेश संख्या–1192/बीस–4/2017–3(13)/2011, दिनांक 01.12.2017 में विहित चिन्हीकरण हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी के रूप में चिन्हित होने के दृष्टिगत् "उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम, 2023" के प्राविधानानुसार राज्याधीन सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण से आच्छादित होते हैं।

दिनांक.....

जिलाधिकारी

जनपद.....

मोहर.....

CamScanner

शासनादेश संख्या–139 / XX(8)/24-27(रा0आ0) / 2018, दिनांक 24.11.2024 में संदर्भित संलग्न प्रारूप–2 :–

प्रारूप–2

''उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम, 2023'' के प्राविधानानुसार राज्याधीन सेवाओं में चयन के समय चिन्हित आन्दोलनकारियों के आश्रितों यथा स्थिति पत्नी अथवा पति, पुत्र एवं पुत्री (जिसमें विवाहित, विधवा, पति द्वारा परित्यक्त, तलाकशुदा पुत्री भी सम्मिलित हैं) को राज्याधीन सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्रदान किये जाने हेतु प्रमाण पत्र का प्रारूप।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर श्री / सुश्री / श्रीमती..पुत्र / पुत्री / पत्नी, श्री.. निवासी...तहसील...जिला............................ ....शासनादेश संख्या–777 / XX(4)/26 / उ0आ0 / 2006–08, दिनांक 22.10.2008, शासनादेश संख्या–178–2 / XX(4) / 26 / उ0आ0 / 06 / 09, दिनांक 28.02.2009, शासनादेश संख्या–1401 / बीस–4 / 2015–3(26) / 2006, दिनांक 25.02.2015, शासनादेश संख्या–1521 / बीस–4 / 2017–9(उ0रा0आ0)2016, दिनांक 03.01.2017 एवं शासनादेश संख्या–1192 / बीस–4 / 2017–3(13) / 2011, दिनांक 01.12.2017 में विहित चिन्हीकरण हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार राज्य आन्दोलनकारी चिन्हित किये गये हैं तथा श्री / सुश्री / श्रीमती.. पुत्र / पुत्री / पत्नी / पति के रूप में उक्त संदर्भित राज्य आन्दोलनकारी के आश्रित हैं।

दिनांक..

जिलाधिकारी

जनपद...

मोहर...

CamScanner

क्रम संख्या–84

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, रविवार, 18 अगस्त, 2024 ई0

श्रावण 27, 1946 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 244/XXXVI(3)/2024/48(1)/2023

देहरादून, 18 अगस्त, 2024

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक, 2023' पर दिनांक 17 अगस्त, 2024 को स्वीकृति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड राज्य का अधिनियम संख्याः 11, वर्ष– 2024 के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

CamScanner

उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम, 2023 प्रवर समिति द्वारा यथा संशोधित

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 11, वर्ष 2024)

अधिनियम

{ भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो }

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, विस्तार और लागू होना

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम 'उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम, 2023 होगा।

(2) यह अधिनियम, इस अधिनियम की धारा-5 के प्रयोजनार्थ दिनांक 11 अगस्त, 2004 से एवं अवशेष उपबन्धों के प्रयोजनार्थ तत्काल प्रभाव से लागू माना जायेगा।

(3) यह अधिनियम राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती के पदों के सम्बन्ध में लागू होगा।

(4) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य पर है।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव

2. किसी अन्य अधिनियम या किसी न्यायालय के किसी निर्णय/डिक्री/आदेश या दिशा-निर्देशों आदि में अन्तर्विष्ट इसके असंगत किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रावधान विधिमान्य व प्रभावी समझे जायेंगे।

परिभाषाएं

3. इस अधिनियम में, जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो;

(क) "चिन्हित आन्दोलनकारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसका चिन्हिकरण सक्षम अधिकारी द्वारा राज्य आन्दोलनकारी के रूप में किया गया हो और उसे उक्त सन्दर्भ में प्रमाण-पत्र/पहचान पत्र निर्गत किया गया हो;

(ख) "आश्रित" से चिन्हित आन्दोलनकारी की यथा स्थिति पत्नी अथवा पति, पुत्र एवं पुत्री (जिसमें विवाहित, विधवा, पति द्वारा परित्यक्त, तलाकशुदा पुत्री भी सम्मिलित है) अभिप्रेत है।

CamScanner

(ग) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(घ) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ङ) "नियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम अभिप्रेत है;

(च) "उत्तराखण्ड" से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;

(छ) "सक्षम अधिकारी" से जिलाधिकारी अभिप्रेत है;

राज्य आन्दोलनकारियों को राजकीय सेवा में सेवायोजन हेतु आरक्षण

4. (1) उत्तराखण्ड राज्य की राज्याधीन सेवाओं में चयन के समय चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जायेगा।

व्यावृत्ति

5 दिनांक 11 अगस्त, 2004 को एवं उसके पश्चात् उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों के अधीन विभिन्न राजकीय सेवाओं/पदों हेतु चयनित/नियुक्त राज्य आन्दोलनकारियों का चयन/नियुक्ति इस अधिनियम के तहत वैध मानी जायेगी।

नियम बनाने की शक्ति

6. (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात् यथा शीघ्र राज्य की विधान मण्डल के समक्ष रखा जायेगा।

आज्ञा से,

अरविन्द कुमार,
अपर सचिव।

CamScanner

उद्देश्य और कारणों का कथन

उत्तराखण्ड राज्य निर्माण हेतु उत्तराखण्ड की स्थानीय जनता द्वारा एक वृहद आन्दोलन किया गया था, जिसमें अनेक लोगों द्वारा अपने प्राणों की आहुति दी गयी और भाँति–भाँति की यातनाएं सही गयी।

उक्त आन्दोलन में भाग लेने वाले व्यक्ति चिन्हित/वर्गीकृत हैं। आन्दोलनकारियों के ऐसे वर्ग को उनके द्वारा दिये गये बलिदान को ध्यान में रखते हुए सम्मान दिया जाना और लोक सेवाओं में ऐसे आन्दोलनकारियों का प्रतिनिधित्व लिया जाना समीचीन है।

माननीय उच्चतम न्यायालय की इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार AIR 1993 SC 477 नामक निर्णयज विधि, जिसमें अवधारित किया गया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अन्य पिछड़े वर्गों (यथा बाढ़ पीड़ित, चकवात पीड़ित, अग्नि पीड़ित, युद्ध पीड़ित, दंगा पीड़ित आदि) को भी आरक्षण प्रदान किया जा सकता है, के दृष्टिगत उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किये जाने हेतु विधेयक लाया जाना प्रस्तावित है।

2. प्रस्तावित विधेयक उक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

(प्रेम चन्द अग्रवाल)
संसदीय कार्य मंत्री।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 16 विधायी/367–2024–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।